

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-23-6-2010-अड़तीस-2

भोपाल, दिनांक 31 मई 2010

स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार

नियम

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य.—प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों तथा प्राचार्यों का शिक्षण में गुणवत्ता पूर्वक योगदान देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2009-10 से स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार योजना प्रारंभ की जा रही है.

यह पुरस्कार समाज में उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्यों शिक्षकों को उनके नियमों में वर्णित प्रावधानों के एवं छात्रों के उत्कृष्ट कार्य के लिए तय किये गये मापदण्डों के आधार पर पुरस्कार दिया जावेगा.

2. शीर्षक.—ये नियम स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार कहलायेंगे. ये नियम सम्पूर्ण म. प्र. राज्य में संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर लागू होंगे और राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

3. विस्तार क्षेत्र.—प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से तात्पर्य म. प्र. शासन द्वारा संचालित महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत एवं अध्ययनरत से है. इनका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा.

4. सम्मान का स्वरूप.—प्राचार्यों के लिए शासकीय महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार एवं गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो शासकीय महाविद्यालय इन सभी मापदण्डों पर सर्वोत्तम होंगे, उनमें प्रथम पांच महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक बार रुपये 50 हजार की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी —

(अ) मापदण्डों में—शोध कार्य, परीक्षा परिणाम, लाइब्रेरी, एकाडेमिक गतिविधियों, संस्कृति गतिविधियां आदि.

- (ब) शिक्षकों के लिए—कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) प्रत्येक संकाय में पुरुस्कार स्वरूप दिया जायेगा. इनका चयन निम्न मापदण्डों कम से कम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो, सम्बंधित विषय में विद्यार्थियों की उपस्थिति, विगत सत्र के शोध पत्र वाचन/प्रकाशन/पुस्तक लेखन/शोध निर्देशन, गत वर्ष का शैक्षणिक कार्य, परियोजना कार्य, पाठ्येत्तर गतिविधियां आदि.

पात्रता.—कम से कम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो.

- (अ) शिक्षकों का चयन संकायवार किया जाए अर्थात विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय में से प्रत्येक से 3-3 शिक्षकों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) का चयन किया जाये.

- (ब) शिक्षकों के चयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई :—

1. संबंधित विषय में विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत.
2. विगत एक सत्र के शोध पत्र वाचन/प्रकाशन/पुस्तक लेखन/शोध निर्देशन.
3. शैक्षणिक कार्यभार आवंटित कक्षाओं के अनुपात में वास्तव में ली गई कक्षाओं की संख्या.
4. परियोजना कार्य लघु परियोजना एवं दीर्घ परियोजना.
5. पाठ्येत्तर गतिविधियां यथा कैरियर गायडेंस, एन. सी. सी., एन. एस. एस. खेलकूद.
6. परफार्मिंग आर्ट्स फाईन आर्ट्स, संगीत (गायन, वादन) नृत्य पुरस्कारों के चयन हेतु कुल 100 अंक रखे जा सकते हैं जिनका विभाजन निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

1. विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत

76 से 100 तक प्रतिशत उपस्थिति (1)	61 से 75 प्रतिशत उपस्थिति (2)	51 से 60 तक प्रतिशत उपस्थिति (3)	41 से 50 तक प्रतिशत उपस्थिति (4)	40 प्रतिशत से कम उपस्थिति (5)
20 अंक	15 अंक	10 अंक	5 अंक	10 अंक

2. विगत एक सत्र के शोध पत्र वाचन/प्रकाशन/पुस्तक लेखन/शोध निर्देशन

अ. शोध पत्र वाचन/प्रकाशन 20 अंक

अन्तराष्ट्रीय स्तर (1)	राष्ट्रीय स्तर (2)
10 अंक	10 अंक

नोट.—1. दोनों स्तरों पर शोध पत्र के वाचन या प्रकाशन पर अधिकतम 20 अंक दिये जा सकते हैं.

ब. पुस्तक प्रकाशन/शोध निर्देशन 20 अंक दिये जा सकते हैं.

पुस्तक प्रकाशन संबंधित विषय/टेस्ट बुक (1)	शोध निर्देशन/उपाधि प्राप्त शोध छात्र/छात्राओं की संख्या (2)
10 अंक	10 अंक
अ-संबंधित/टेस्ट बुक पर 1 अंक अधिकतम 10 अंक	अ-शोध उपाधि प्राप्त शोध छात्र/छात्रा (एक छात्रा पर एक अंक अधिकतम 10 अंक)

3. शैक्षणिक कार्यभार.—आवंटित कक्षाओं के अनुपात में वास्तव में ली गई कक्षाओं की संख्या —

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक		
(1)	(2)	(3)
20 अंक 100 प्रतिशत	15 अंक 75 प्रतिशत ली गई कक्षाएं	10 अंक 50 प्रतिशत ली गई कक्षाएं
लघु परियोजना (1)		दीर्घ परियोजना (2)
10 अंक		10 अंक

4. पाठ्येत्तर गतिविधियां यथा कैरियर गायडेंस, एन. सी. सी., एन. एस. एस., खेलकूद

कैरियर गायडेंस (1)	एन. सी. सी. (2)	एन. एस. एस. (3)	खेलकूद (4)
10 अंक	10 अंक	10 अंक	10 अंक

5. परफार्मिंग आर्ट्स, फाईन आर्ट्स, संगीत (गायन, वादन), नृत्य

भागीदारी-अंतर्राष्ट्रीय स्तर (1)	सम्मान-अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (2)
5 अंक	10 अंक

नोट.—परफार्मिंग, आर्ट्स, फाईन आर्ट्स संगीत (गायन, वादन), नृत्य के शिक्षकों हेतु मूल्यांकन कुल 110 अंकों में से किया जाना प्रस्तावित है.

(स) विद्यार्थियों के लिए—शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, गृह विज्ञान, विधि सांस्कृतिक गतिविधि एवं खेलकूद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त को क्रमशः 50,30,20 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे.

अ. विद्यार्थियों का चयन संकायवार किया जाए अर्थात् विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान एवं विधि संकाय में से प्रत्येक से 3-3 विद्यार्थियों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) का चयन किया जाय.

ब. विद्यार्थियों के चयन हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई :—

- (1) महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी हो. (नियमित प्रवेश की समस्त अर्हताओं का गहन परीक्षण किया जाए)
- (2) प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण की हो.
- (3) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रैगिंग में भागीदारी न हो.
- (4) विगत तीन सत्रों की निम्नानुसार उपलब्धियों का आंकलन

1. एकेडेमिक उपलब्धियां

2. सांस्कृतिक गतिविधियां
3. साहित्यिक गतिविधियां
4. खेलकूद संबंधी गतिविधियां
5. एन. सी. सी.
6. एन. एस. एस.

विद्यार्थियों हेतु पुरस्कार

विद्यार्थियों के चयन हेतु 100 अंक निर्धारित किये गये.

1. एकेडेमिक उपलब्धियों हेतु 50 अंक निर्धारित किये जावेंगे.

प्राप्तांक (1)	प्रतिशत (2)	स्नातक स्तर पर कुल प्रतिशत (3)
-------------------	----------------	-----------------------------------

2. सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद गतिविधियों हेतु 10-10 अंक निर्धारित किये गये.

निम्न स्तरों पर पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थी ही अंकों की पात्रता रखेंगे.

तहसील स्तर (1)	जिला स्तर (2)	संभाग स्तर (3)	प्रदेश/वि. वि. स्तर (4)	राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (5)
2 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक

एक से अधिक स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने पर 4 एवं अधिकतम 10 अंक देय होंगे.

3. एन. एस. एस. एवं एन. सी. सी. गतिविधि हेतु 10-10 अंक निर्धारित किये गये.

बी प्रमाण पत्र (1)	सी प्रमाण पत्र (2)	आर. डी. सी. में भागीदारी (3)	राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार/भागीदारी (4)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार/भागीदारी (5)
2 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक	2 अंक

एक से अधिक स्तर पर पुरस्कार/भागीदारी करने पर 4 एवं अधिकतम 10 अंक देय होंगे.

5. निर्णायक मण्डल.—उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर निर्णायक मण्डल, स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति का गठन करेगा :—

1. निर्णायक मण्डल में तीन सदस्य होंगे. (1) उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन-संयोजक, (2) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा-सदस्य, (3) महामहिम राज्यपाल के सचिव-सदस्य कोरम के लिये कम से कम दो सदस्यों की सहभागिता होगी.

2. स्क्रीनिंग एवं अनुशंसा समिति निम्नानुसार होगी :—

- | | | |
|-----|--|--------|
| (1) | आयुक्त, उच्च शिक्षा | संयोजक |
| (2) | संचालनालय में पदस्थ अतिरिक्त संचालक एवं समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक. | सदस्य |
| (3) | संचालनालय में पदस्थ संबंधित सयुक्त संचालक/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी. | सदस्य |
| (4) | प्रदेश के स्वशासी महाविद्यालयों में से एक महाविद्यालय का प्राचार्य. | सदस्य |

3. ऐसा व्यक्ति निर्णायक मण्डल/स्क्रीनिंग समिति का सदस्य नहीं होगा, जिसने पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो.
4. निर्णायक मण्डल के द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा.
5. पुरस्कार चयन के संबंध में आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.
6. सामान्यतः प्रत्येक पुरस्कार के लिए एक व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मण्डल यदि आवश्यक समझेगा तो एक पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों का चयन कर सकेगा तथा उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जावेगी.
7. निर्णायक मण्डल की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी.

6. चयन की प्रक्रिया.—पुरस्कारों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1. प्रत्येक वर्ष पुरस्कार प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा माह जुलाई में (वर्ष 2009-10 को छोड़कर) प्रमुख प्रादेशिक समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञान प्रकाशित कराया जावेगा तथा उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कराया जावेगा. आवेदन प्राप्त करने के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जावेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को विचार के लिए मान्य नहीं किये जावेंगे.
2. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के आवेदन संस्था के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित करने के उपरांत तथा प्राचार्य अपना आवेदन स्वयं आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल को भेजेंगे.
3. प्रेषित किये जाने वाले आवेदन पूर्ण रूपेण एवं सही-सही प्रविष्टि कर भेजे जावेंगे. अपूर्ण आवेदन विचार योग्य नहीं माने जावेंगे आवेदन में समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की अटेस्टेड छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित स्थान पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होगा.
4. पुरस्कार के लिये जिन व्यक्तियों ने पूर्व में आवेदन किया हो और पुरस्कार नहीं मिला हो वे अगले वर्ष के पुरस्कार के लिये आवेदन पुनः भेज सकते हैं.
5. आवेदन में की गई प्रविष्टियों तथा संलग्न प्रमाण पत्रों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता का रहेगा. इसका सत्यापन आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा किया जायेगा.
6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों को पन्द्रह दिन में पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समन्वय शाखा 1 द्वारा प्रविष्टि की जावेगा.

पंजीयन क्रमांक	व्यक्ति का नाम	कार्यालय का पता	प्राप्त कागजातों के कुल	अन्य विवरण
(1)	पद	दूरभाष नं.	पृष्ठों की संख्या	(5)
	(2)	(3)	(4)	

7. प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टी उपरांत इस स्क्रीनिंग समिति निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्तियों का चयन कर पन्द्रह दिन में अनुशंसाएं निर्णायक मण्डल को भेजेगी.
8. निर्णायक मण्डल अनुशंसाएं प्राप्त होने के उपरांत पन्द्रह दिन में पुरस्कार योग्य व्यक्तियों का चुनाव कर सूची आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजेंगे.

7. पुरस्कार की घोषणा.—निर्णायक मण्डल द्वारा जिन प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा, उनके नामों की घोषणा, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा की जायेगी. जिसकी सूचना उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यक्तिगत पते पर भी भेजी जायेगी.

8. अलंकरण समारोह.—1. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अलंकरण समारोह में प्रदान किये जायेंगे.

2. पुरस्कार के अलंकरण समारोह की तिथि एवं स्थान शासन द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जायेगा, जिससे चयनित व्यक्तियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायेगा, जिन्हें शासन के नियमानुसार रेल/सड़क मार्ग का यात्रा भत्ता की पात्रता रहेगी. विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये एक सहायक साथ में ला सकेंगे. उन्हें भी यात्रा भत्ता की पात्रता होगी.

9. व्यय की सम्पूर्ति.—स्व. श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से सम्बन्धित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति आवंटित बजट से की जायेगी.

10. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.—राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की व्याख्या अधिकृत और अन्तिम मानी जायेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है कि निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को निहित होंगे.

11. अन्य दायित्वों का निर्वाहन.—प्रतिवर्ष प्राप्त आवेदन एवं चयनित व्यक्तियों का रिकार्ड (प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी) अलग-अलग फोल्डर बनाकर समन्वय शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संधारित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपसचिव.